प्रथम/द्वितीय प्रति

ljy dekd - - - - - - - - - - - - - - - -

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय रायपुर

fufonk & nLrkot

¼gEekyh ,o ifjogu dk;½

fufonk fnukd 06-04-2010

gEekyh ,o ifjogu dk; ¼,p-,.M Vh-½
o"k 2010&2011

fufonkdkj d gLrk{kj o lhy
,p- ,.M Vh- o"k 2010&2011

NRrhlx< LVV flfoy lIykbl t dkikj'ku fy-

मुख्यालय, बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, रायपुर

gEekyh ,o ifjogu dk;l

fo"k; lph

ifjf'k"V	fooj.k	i"B dz-
–	निविदाकार का नाम, पता व निविदा जमा करने / खोलने की तिथि	**2**
–	उदबोधन	**3-4**
1	निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं	**5-10**
2	संविदा को शासित करने वाले निविदा नियम एवं शर्ते	**11-23**
3–4	शक्कर/चावल हेतु रैल रैक पाईन्ट (स्थानों की सूची)	**24**
5	सेवाओं/कार्यो के लिए दर अनुसूची (शेड्युल रेट) एवं सेवा कार्यो का विवरण	**25**
6	निविदाकार का परिचय, संक्षिप्त विवरण एवं प्रस्तुत निविदा दर	**26-28**
7	करार नमूना प्रति (प्रथम परिवहनकर्ता हेतु)	**29**
8	करार नमूना प्रति (द्वितीय परिवहनकर्ता हेतु)	**30**
–	रैक पाईन्ट अंतर्गत हम्माली एवं परिवहन कार्य के लिए अनुमानित व्यय का विवरण पत्रक	**31**
–	परिवहन कार्य का क्रियान्वयन पत्रक	**32**
–	कार्य समाप्ति पश्चात घोषणा पत्र	**33**

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हम्माली एवं परिवहन कार्य निविदा वर्ष 2010-2011
(एच. एण्ड टी.)

सरल क्रमांक..................

1.	परिवहनकर्ता का नाम एवं पता मोबाईल नं.	श्री / मेसर्स.. ....
2.	बेस डिपो का नाम	....
3.	निविदा फार्म का मूल्य	रू. 500.00 मात्र एवं वाणिज्यिक कर अतिरिक्त
4.	निविदा फार्म के मूल्य की प्राप्ति	मनी रसीद/डी.डी. नं. .... तारीख. ....
5.	निविदा जमा करने की तिथि	**दिनांक 06-04-2010 समय 1.00 बजे अपरान्ह**
6.	निविदा खोले जाने की तिथि	**दिनांक 06-04-2010 समय 2.00 बजे अपरान्ह**

टिप्पणीः-

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित तिथि का या बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है, प्रथम प्रति निविदाकार टेण्डर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्चयं के उपयोग हेतु रखी जावेगी ।
3. प्रमाणित किया जाता है, कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ क्रमांक **01** से **33** तक समाहित हैं।
4. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट **www.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क रू. 525.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से देय, टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी।
5. निविदा वर्ष में यदि किसी बेस डिपो के कार्य विशेष हेतु पुनः निविदा आमंत्रण की स्थिति बनती है, तो कार्य विशेष हेतु पूर्व में वर्ष अन्तर्गत भाग ले चुके निविदाकार को निविदा के मूल्य में रू. 200.00 की रियायत दी जावेगी ।

....
निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा
जारीकर्ता कार्यालय ....
जारी करने की तारीख ....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

1. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात कार्पोरशन / निगम कहा जायेगा) के लिये तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा रेलवे के विभिन्न रेल शीर्षो/रेक प्वाइंट /संग्रहण केन्द्रों पर (1) शक्कर (2) खाद्यान्न /गेहूँ /नमक आदि उतारना /उठाना / स्टेक लगाना / रखना तथा उसके गोदामों तक परिवहन करना आदि (जिन्हें एच.एण्ड टी.का कार्य कहा जायेगा) परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 (अर्थात 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक) के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

2. उल्लेखनीय है, कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है । कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जनउपयोगी कार्य किये जा रहे है, जिनमें खाद्यान्नों / शक्कर/ नमक/ दलहन/ तिलहन/ बारदाना/ मोटे अनाज आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है ।

3. विभिन्न रेक प्वाइंट /रेल शीर्षों जिन पर शक्कर, चावल, गेहूँ, नमक, बारदाना, खाद्य पदार्थ प्राप्त/प्रेषित होगा, का विवरण क्रमशः इस दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट-3** एवं **परिशिष्ट-4** में वर्णित है । इस निविदा दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट-1** में निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें **परिशिष्ट-दो** में संविदा को शासित करने वाले नियम एवं शर्ते दिये गये है । निविदाकार इन्हें भली-भांति पढ़ने एवं समझने के बाद ही अपनी दरें निर्धारित फार्म **परिशिष्ट-6** में भरें तथा अपने बारे में वांछित विवरण देते हुए आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज/फोटो इत्यादि संलग्न करें । निविदा फार्म में निविदाकार दरें अंकों व शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से भरें । **निविदाकारों को दरें कार्पोरेशन के परिशिष्ट-5 में दि**, *x, dk;kZ dk fooj.k dk vk/kkj ij i`fr ckjk dh nj iLrqr djuk gksA*

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें । निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित रेक प्वाइंट के लिए जिला कार्यालय में अथवा मुख्यालय रायपुर में निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख को निर्दिष्ट समय तक जैसा कि निविदा सूचना में अंकित होगा तक स्वीकार किये जायेंगे और प्राप्त निविदायें उसी दिन निर्दिष्ट समय पर जैसा कि निविदा सूचना में अंकित होगा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उपरोक्तानुसार खोली जायेंगी । निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगा । किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

5. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिये बाध्य होगा ।

6. वर्ष 2010-2011 की निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य है :-

(अ) निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुईं, तो कार्पोरेशन अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता है।

.

ब. इस वर्ष हमाली व परिवहन कार्य हेतु 65 किलोग्राम से कम वजन हेतु शक्कर, चावल, नमक, उपार्जित गेहूँ आदि हेतु पृथक-पृथक दरें बुलवायी जा रही है । **100 किलोग्राम के बोरे में स्कंध** *gi.Mfyix* **होने की दशा में 50 किलोग्राम के दो बोरे मानते हुए स्वीकृत दर से भुगतान किया जायेगा ।**

स. **निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट-1 की कंडिका-4 अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।**

द. निविदाकार को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न **परिशिष्ट-6 निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण** को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुये भरा जाना अनिवार्य है । कृपया इसका विशेष ध्यान रखें । प्रत्येक कालम अपेक्षित विवरण के साथ पूरा भरा जाना है ।

उक्त अनुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट और दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें) प्रस्तुत करें ।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय - रायपुर

परिशिष्ट - एक

// निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें //

निविदाकार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के शक्कर/ चावल/ गेहूं/ नमक/खाद्य पदार्थ आदि के हम्माली व परिवहन कार्य के लिए गत पृष्ठों के उद्बोधन नीचे दर्शाये गये निर्देशों, संलग्न नियमों व शर्तों **(परिशिष्ट - दो)** तथा सेवाओं के **(परिशिष्ट- पाँच)** को भलीभांति पढ़ने और समझने के बाद ही निर्धारित निविदा फार्म **(परिशिष्ट - छः)** भरें, क्योंकि ये निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित किए जाने वाली संविदा के भाग / अंग माने जायेंगेः-

1. निविदा फार्म भरने के पूर्व निविदाकार स्वतः नियमानुसार सुनिश्चित कर लें :-

1.1 निविदाकर्ता निविदा के साथ इसी परिशिष्ट की कंडिका (4) के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करें । यह सभी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

1.2 निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेसन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुईं, तो कार्पोरेशन अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता है।

1.3 निविदाकार / फर्म के नाम से कम से कम निविदा दिनांक में तीन भारी माल वाहन (ट्रक) पंजीबद्ध हों, जो खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु उपयुक्त हों व जिसका उनके पास राष्ट्रीय / छत्तीसगढ़ का वैध परमिट हो, तथा निविदा स्वीकृत होने पर उक्त वाहन अनुबंध अवधि तक निविदाकार के नाम पर लगातार पंजीबद्ध रहना अनिवार्य होगा ।

1.4 निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व रैक प्वाइन्टों, गोदामों की दूरी और सड़कों की स्थिति एवं स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भलीभांति आश्सवस्त हो लेना चाहिए । बाद में इस आधार पर स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । नियमित/प्रचलित मार्ग किसी कारणवश बंद रहता है, तो परिवर्तित मार्ग से परिवहन किए जाने पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जायेगा ।

1.5 जिस जिले का परिवहनकर्ता निवासी है उसी से संबंधित बेस डिपो में निविदा में भाग लेगा। परंतु बेस डिपो में कार्यालय न हो तो अपना संपर्क कार्यालय तथा प्रतिनिधि का नाम, पता, हैसियत एवं प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो देने का प्रावधान के साथ ही प्रतिनिधि नियुक्त करने की दशा में 50/– के स्टाम्प पेपर पर पावर आफ एटॉर्नी जारी करना होगा, जो नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए।

1.6 प्रत्येक बेसडिपो / रैक प्वाइन्ट पर हम्माली एवं परिवहन कार्य के लिए कार्पोरेशन द्वारा वैध् द्वितीय न्यूनतम दर वाले परिवहनकर्ता से, द्वितीय न्यूनतम दर पर आवश्यकतानुसार कार्पोरेशन प्रबंधन विवेक पर द्वितीय परिवहनकर्ता के रूप में संविदा निष्पादित कराई जा सकती है । द्वितीय परिवहनकर्ता से प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता निष्फल होने पर / प्रबंधन के विवेक अनुसार प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता की रिस्क एवं कास्ट या जैसी भी स्थिति हो पर कार्य करवाया जायेगा ।

1.7 शक्कर, चावल, गेहूं, नमक खाद्यान्न आदि के हम्माली एवं परिवहन कार्य हेतु 65 किलोग्राम से कम वजन वाले बोरों की दरें चाही गई है, परंतु 100 किलोग्राम के बोरे हैण्डलिंग होने पर 50 किलोग्राम के दो बोरे मानते हुए स्वीकृत दर पर ही भुगतान किया जावेगा जिसे मानने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा ।

1.8 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी स्वीकृति प्रदान की जावे । अतः ऐसे परिवहन दरों की स्वीकृति दी जाएगी जो कार्य योग्य दर हो । यह निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जा सकता है, जिसके विरूद्ध निविदाकार का कोई भी दावा मान्य योग्य नहीं होगा ।

1.9 **चावल रेक लोडिंग करने वाले परिवहनकर्ता को ही निर्धारित रेक प्वाइंट पर चावल अनलोडिंग कर गोदामों में स्टेकिंग करते तक का कार्य भी संपादित करना है । अतः लोडिंग एवं अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य करने हेतु औसत परिवहन दर प्रस्तुत करें । स्वीकृत परिवहन दर के आधार पर ही लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य का भुगतान किया जावेगा । भुगतान प्रेषितकर्ता जिले द्वारा प्राप्तकर्ता जिले की अभिस्वीकृति के आधार पर किया जावेगा ।**

परिशिष्ट - एक

1.10 **शक्कर रेक अनलोडिंग में हम्माली एवं परिवहन के दौरान प्राप्त स्वीपेज/गीली स्कंध स्वीकार नहीं किया जावेगा । प्राप्त स्वीपेज/गीली शक्कर परिवहनकर्ता की होगी तथा शक्कर की कमी हेतु उपभोक्ता मूल्य से *nk xuk* कटौती की जावेगी ।**

1.11 निविदाकार द्वारा निविदा में भरी गई परिवहन दरों के लिए व्यय / लागत का प्रमाणित विवरण निविदा दस्तावेज के संलग्न अनुमानित व्यय का विवरण पत्रक पर *प्रस्तुत करें ।*

1.12 निविदा में प्रस्तुत परिवहन दरों में सर्विस टेक्स एवं शासन द्वारा अधिरोपित सभी करों की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः निविदाकार दरें प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रस्तुत परिवहन देयक से सर्विस टेक्स एवं अधिरोपित करों की राशि का कटौत्रा कर संबंधित विभाग को भुगतान, निगम द्वारा चालान के माध्यम से किया जावेगा ।

1.13 निविदाकार / फर्म तथा प्रतिनिधि, राईस मिलर न हो ।

1.14 निविदाकार को रेक प्वाइंट से संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म कैसे भरें :-

2.1 निविदाकार निविदा फार्म अविकल रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किए विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा ।

निविदाकार को अमानत राशि एवं वांछित दस्तावेज यथा वाहन के कागजात, अनुभव प्रमाणपत्र, इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम), तथा पैन कार्ड, फर्म / कंपनी के पंजीयन प्रमाण पत्र, रेक प्वाइंट से संबंधित जिले का निवासी प्रमाण पत्र अलग से मुहरबंद लिफाफे में रखकर (लेटरहेड या सादे कागज पर आवेदन में बेस डिपो के नाम सहित) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्नीकल बीड (**TECHNICAL BID**) लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र वेबसाईट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क रू. 525.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से देय, टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी।

निविदा दस्तावेज (निविदा दर) अन्य सीलबंद लिफाफे में जिस पर प्राईज बीड (**PRICE BID**) पृथक से लिखकर प्रस्तुत करना होगा । ऐसे निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालीफाई नहीं किया गया है, उनकी प्राईज बीड नहीं खोली जायेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा ।

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले वांछित दस्तावेज को स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्तानुसार निविदाकार द्वारा प्रत्येक बेस डिपो हेतु टेक्नीकल बीड एवं प्राईज बीड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा । दोनों बीड के लिफाफे को एक बड़े लिफाफे पर बेस डिपो का नाम लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2.2 निविदा फार्म में दरें अंकों एवं शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ-साफ लिखी जानी चाहिए । कृपया निविदा फार्म में उपरिलेखन और कांट-छांट न करें अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी ।

2.3 निविदा फार्म में परिवहनकर्ता अपेक्षित संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दें तथा प्रत्येक खाना भरें, जो कॉलम संबंधित न हो उस पर (x) निशान लगायें ।

2.4 प्रत्येक रैक प्वाइन्ट के लिए अलग-अलग निविदा फार्म एवं अलग-अलग बयाने की रकम (अर्नेष्ट मनी) जमा करना आवश्यक है ।

परिशिष्ट - एक

2.5 **<u>रेल्वे स्टेशन से शक्कर, खाद्य पदार्थ, दलहन, तिलहन, चावल, नमक, गेहूं आदि लोडकर छुड़ाकर कार्पोरेशन के निर्धारित गोदाम तक पहूंचाने की दरें निर्धारित निविदा फार्म के</u>** <u>*ifjf'k"V&ikp e n'kk; x, dk; vu lkj* **परिशिष्ट-छः के बिन्दु-दो में** *ifr ckjk dh nj iLrr djA*</u>

<u>3. बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी):-</u>

3.1 प्रत्येक निविदा फार्म के साथ रूपये 2,00,000/- (रू. दो लाख मात्र) की बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित जिले के पक्ष में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (स्थानीय होने की दशा में बैंकर्स चैक मान्य होगा) संलग्न की जायेगी । बयाने की रकम के अभाव में निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा । यदि किसी अन्य निविदा फार्म के साथ बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) जमा की जा चुकी हो, तो उस बयाने की रकम (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिए नहीं माना जायेगा । इसी परिशिष्ट की **कंडिका-1.1** के अनुसार बिना वांछित दस्तावेज के, प्रस्तुत निविदा की बयाने की रकम राजसात की कार्यवाही की जायेगी।

3.2 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है, या हटता है, या अपने प्रस्ताव में और / या उसकी शर्तों तथा नियमों में कोई संशोधन करता है, तो बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त हो जायेगी / जप्त मानी जायेगी । ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना कार्पोरेशन के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

3.3 निविदाकार द्वारा उसकी निविदा फार्म स्वीकृत होने के बाद निर्धारित अवधि तक वांछित अभिलेख एवं निर्दिष्ट प्रतिभूति राशि जमा कर, अनुबंध करने में असफल होने की स्थिति में भी बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) संविदा एवं विधि के अधीन कार्पोरेशन के किसी भी अन्य अधिकारों एवं उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्पोरेशन के हित में जप्त हो जायेगी । ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना कार्पोरेशन के लिए आवश्यक नहीं होगा ।

3.4 बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) इसी परिशिष्ट की कंडिका (3.2 व 3.3) को छोड़कर यथा संभव समस्त असफल निविदाकारों को निविदाओं पर विचार होने के बाद वापिस कर दी जायेगी । सफल निविदाकारों को उसके द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने के बाद अपने बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) प्रतिभूति राशि में समायोजित करने की इच्छा व्यक्त न की जाने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी । किसी भी स्थिति में बयाने की राशि (अर्नेस्ट मनी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

3.5 निविदा में न्यूनतम दरदाता द्वारा प्रस्तुत दर कार्य योग्य दर नहीं होने की दशा में न्यूनतम दर की जगह अन्य प्राप्त दर स्वीकृत किया जा सकेगा एवं न्यूनतम दरदाता निविदाकार की जमा अमानत राशि वापस की जावेगी ।

3.6 अगर किसी निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा बयाने की राशि उसके द्वारा अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है, तो परिवहनकर्ता / फर्म / फर्म के भागीदार जिस वित्तीय वर्ष के लिए निविदा विवादित हुई है उस वर्ष व आगामी दो वर्ष के लिए और कार्पोरेशन की इस कार्य हेतु आगामी निविदा / कोटेशन की प्रतिस्पर्धा मे स्वयं या अन्य किसी फर्म में किसी भी हैसियत से शामिल हो कर भाग नहीं ले सकेगा और न ही किसी अनुबंधित परिवहनकर्ता के अधिकृत नियोजित व्यक्ति के रूप में कार्पोरेशन का कार्य कर सकेंगे ।

<u>4. टेक्नीकल बीड के साथ अनिवार्यतः संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज / सहपत्र :-</u>

निविदाकार को टेक्नीकल बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति, स्वयं हस्ताक्षर करने के उपरांत, नोटरी से सत्यापित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, **<u>इनमें से किसी भी दस्तावेज के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी</u>** ।

परिशिष्ट - एक

4.1 वांछित प्रकार के तीन भारी माल वाहन (ट्रक) की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा माह मार्च/अप्रैल 2010 में जारी वाहन की विवरण (Vehicle Particuler's) की सत्यापित प्रति ।

4.2 *gEekyh ,oa ifjogu dk;Z jgd IokbaV ls lacaf/kr ftys ds fuoklh fufonkdkj dks gh fn;k tkuk gS vr% fufonk ds lkFk ftys ds fuoklh izek.k i= gsrq ftyk iz'kklu }kjk izkf/kd`r vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k izek.k i= VsDuhdy chM ds lkFk layXu djuk vfuok;Z gksxkA*

4.3 इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम) तथा पैन कार्ड की सत्यापित प्रति ।

4.4 फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि) ।

4.5 फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुख्त्यारनामा (नोटरी द्वारा सत्यापित) ।

4.6 निर्धारित बयाने की राशि रूपये 2.00 लाख (रू. दो लाख मात्र) का प्रमाणक ।

5. निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :-

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा / कर रहे व्यक्ति यह बतायेंगे कि वह या वे किस हैसियत से निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अर्थात फर्म के पूर्ण स्वामी के रूप में या मर्यादित कंपनी के सचिव / प्रबंधक / संचालक आदि के रूप में भागीदारी फर्म होने की स्थिति में निविदा फार्म पर समस्त भागीदारों के नाम का उल्लेख किया जाये तथा निविदा फार्म पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे या उनके विधिवत बनाये गये मुख्त्यारनामा द्वारा समस्त भागीदारों को संविदा में संबोधित सभी मामलों में पंच निर्णय धारा सहित बाध्य करने के अधिकार सहित अद्यतन भागीदारी विलेख की मुख्य या एक प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत की जायें ।लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में संचालक के नाम का उल्लेख किया जाये तथा यह प्रमाणित किया जाये कि निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है। निविदा फार्म के साथ कंपनी के संयोजन अंतर्नियमों की ज्ञापन की एक प्रति संलग्न की जाये । हिन्दु अविभाजित परिवार के मुखिया (कर्ता) जो फर्म को बाध्य कर सकता है, को निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करना चाहिए तथा हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत / स्थिति दर्शाई जानी चाहिए ।

5.1 फर्म की ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से निविदा फार्म या किसी भी अन्य कागजात पर जो निविदा फार्म का हिस्सा हो, हस्ताक्षर कर रहा व्यक्ति उसके पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया मुख्त्यारनामा यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा कि यह यथास्थिति अन्य ऐसे व्यक्ति या फर्म को पंच निर्णय धारा सहित संविदा से संबंधित समस्त मामलों में बाध्य करने का अधिकार रखता है । यदि निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा व्यक्ति मुख्त्यारनामा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है,तो उसका निविदा फार्म विधि के अधीन कार्पोरेशन के किसी अन्य दूसरे अधिकारों को बिना प्रभावित किए बिना किसी विचार के रद्द किया जा सकेगा । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में समस्त भागीदारों द्वारा मुख्त्यारनामा पर हस्ताक्षर किए जायेंगे । पूर्ण स्वामित्व होने वाली संस्था होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अपने हस्ताक्षर से कंपनी को बाध्य कर सके । हिन्दु अविभाजित परिवार होने की स्थिति में मुखिया (कर्ता) द्वारा मुख्त्यारनामे पर हस्ताक्षर किए जायेंगे, जो अपने हस्ताक्षर से फर्म को बाध्य कर सके ।

6. संविदा निष्पादित करना :-

6.1 कार्पोरेशन द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे कार्पोरेशन की ओर से सूचना मिलने पर एक सप्ताह की अवधि में कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर कार्पोरंशन द्वारा निर्धारित संविदा **(परिशिष्ट- सात / आठ स्थिति अनुसार)** रू. 100/- के मुद्रांक

परिशिष्ट - एक

पत्र पर निम्न वांछित कागजात के साथ कार्पोरेशन के मुख्यालय में उपस्थित हो कर, निष्पादित करना आवश्यक होगा । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध हेतु निर्दिष्ट समयावधि में सफल निविदाकार को अनुबंध करना ही होगा, चाहे कार्पोरेशन द्वारा कार्य तत्समय करवाया जाय या नही, समयावधि में अनुबंध न होने पर कार्पोरेशन द्वितीय निविदाकार से कार्पोरेशन की स्वीकृत दरों पर अनुबंध हेतु पहल कर सकेगा, तथा सफल प्रथम न्यूनतम निविदाकर्ता का अनुबंध का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा व अमानत राशि स्वमेव राजसात हो जावेगी ।

(अ) वांछित प्रकार के तीन भारी माल वाहन (ट्रक) की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा माह मार्च/अप्रैल 2010 में जारी वाहन की विवरण (Vehicle Particuler's) की सत्यापित प्रति ।

(ब) *gEekyh ,o ifjogu dk; jd IokbV l lcf/kr ftyi d fuoklh fufonkdkj dk gh fn;k tkuk g vr% fufonk d lkFk ftyi d fuoklh iek.k i= gr ftyk i'kklu }kjk ikf/kdr vf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k iek.k i= VDuhdy chM d lkFk lyXu djuk vfuok; gkxkA*

(स) इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम) तथा पैन कार्ड की सत्यापित प्रति ।

(द) फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र । भागीदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदारी विलेख, कंपनी होने पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स (सत्यापित प्रति) ।

(इ) फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुख्त्यारनामा (सत्यापित प्रति) ।

(फ) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से कराए गए पंजीयन की प्रमाणित प्रति।

6.2 संविदा निष्पादित करते समय निविदा फार्म के साथ जमा की गई बयाने की रकम (अर्नेष्ट मनी) समायोजित की जा सकेगी ।

6.3 निर्धारित अवधि में संविदा निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) बयाने की रकम (अर्नेष्ट मनी) कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जायेगी । इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

6.4 परिवहनकर्ता कार्य संपादित करने हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो ऐसी स्थिति में रू. 50.00 के स्टाम्प पेपर पर पॉवर ऑफ एटॉर्नी जारी करना अनिवार्य होगा जो नोटरी से प्रमाणित होना आवश्यक है।

7. विविध :-

7.1 **परिशिष्ट-पांच** में वर्णित अ-1, अ-2 के कार्यों को एक ही परिवहनकर्ता अथवा अलग-अलग परिवहनकर्ता को दिया जा सकेगा, **भाग अ-1, अ-2** के कार्य एक से अधिक परिवहनकर्ता को दिये जा सकते हैं । इसमें निविदाकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

7.2 कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत निविदाकार के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अनुबंधित कार्य हेतु विभागीय रूप से भी कार्य करने पर विचार किया जा सकता है । कार्पोरेशन अपनी स्वयं की परिवहन व्यवस्था / विभागीय रूप से कार्य करने पर भी विचार कर सकता है या ऐसे अन्य उपाय / परिवहन तंत्र / व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो कार्य को निर्बाध और गति से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त परिवहनकर्ता के साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानान्तर व्यवस्था से कार्य करावें । सिर्फ शक्कर रैक के मामले में कार्पोरेशन द्वारा रेल्वे प्लेटफार्म से साउण्ड बोरों का सीधे एल.आर.टी. परिवहन कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत कराया जा सकता है,जो प्रत्येक रैक की 25 प्रतिशत न्यूनतम मात्रा तक सीमित रहेगा । यदि एल.आर.टी. परिवहनकर्ता द्वारा, रैक से सीधे परिवहन कार्य, एच.एण्ड टी. परिवहनकर्ता की वजह से नहीं किया जा सकेगा तो एच.एण्ड टी. परिवहनकर्ता पर रूपये 15/- प्रति क्विंटल की दर से, ऐसी मात्रा पर शास्ति संबंधित जिला प्रबंधक के प्रस्ताव पर मुख्यालय द्वारा अधिरोपित कर 90 प्रतिशत भुगतान में से ही वसूली जावेगी ।

परिशिष्ट - एक

7.2.1 उपार्जित खाद्यान्न के रैक लदान के मामले में कार्पोरेशन उपार्जन / खरीदी केन्द्र / संग्रहण केन्द्र/ गोदाम से सीधे ही प्राप्त ट्रकों को भी रैक लोडिंग हेतु वे-ब्रिज से तौल करा कर या, जैसी भी स्थिति हो निर्देशित कर, रैक लोडिंग करवा सकता है, रेल्वे रैक प्वाइन्ट पर प्राप्त किए गये ट्रक / वाहनों से सीधे ही लोडिंग के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा।

7.3 निविदाकारों को निविदा में कोई शर्त शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी । निविदा खुलने के पश्चात निविदाकारों द्वारा स्वमेव दर संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

7.4 निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरांत कूटरचित / असत्य दस्तावेज पाए जाने की दशा में निविदाकार से किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा/अनुबंध के साथ जमा अमानत / जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जायेगी ।

7.5 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा, कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्त, नियम व कार्य पद्धति, परिवहन दूरियां आदि समझ ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

7.6 प्रबंध संचालक को यह भी अधिकार होगा कि वे विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कार्पोरेशन हित में निविदा नियमों / शर्तों के शिथिल कर सकते हैं।

7.7 किसी भी निविदा फार्म को बिना कारण बतलाये निरस्त करने का या पूर्ण / आंशिक मान्य / अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा ।

परिशिष्ट - दो

// संविदा को शासित करने वाले निविदा, नियम व शर्तें //

1. परिभाषायें :-

1.1 शब्द **संविदा** अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य एवं विशेष शर्तें भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जायें ।

1.2 शब्द **कार्पोरेशन / निगम** एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड ।

1.3 शब्द **प्रबंध संचालक** से अभिप्रेत है,प्रबंध संचालक,जिनके प्रशासनिक क्षेत्रान्तर्गत रैक प्वाइन्टों/ संग्रहण केन्द्रों पर उतारने/उठाने/लादने/रखने/लदाई करने एवं गोदामों तक परिवहन कार्य जिसमें संविदा संबंधित है, का निष्पादन होगा इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे ।

1.4 शब्द **परिवहनकर्ता** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिसके साथ रैक प्वाइन्टों / संग्रहण केन्द्रों पर उतारने / उठाने / लादने / रखने / लदाई करने एवं गोदामों तक परिवहन कार्य की संविदा की गई हो तथा इसमें यथास्थिति उनके वारिस / उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं ।

1.5 शब्द **गोदाम** से अभिप्रेत है, कार्पोरेशन से संबंधित या उसके कब्जे में होने वाला कोई भी गोदाम । इसमें स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन / सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन / मण्डी स्थित गोदाम, लीड / लिंक / उ.मू.दु. के गोदाम तथा कार्पोरेशन द्वारा किराये पर लिया गया या उपयोग में लाया गया गोदाम सम्मिलित होगा ।

1.6 शब्द **सेवाओं** से अभिप्रेत है, और इसमें सम्मिलित है, निविदा निर्देशों / शर्तों / नियमों में उल्लेखित कार्यो की मदों में से किसी मद का संपादन । इसमें ऐसे सहायक,अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्त्तव्य, सेवाएं और संकार्य भी शामिल है, जो जिला प्रबंधक या रैक प्वाइन्ट / संग्रहण केन्द्र में पदस्थ किसी कार्पोरेशन के अन्य अधिकारी द्वारा दर्शाये जायें, सम्मिलित होंगे ।

1.7 शब्द **भारी माल वाहन** से अभिप्रेत है,मशीन चलित वाहन (ट्रक) जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भारी माल वाहन के रूप में पंजीकृत हो तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु उपयुक्त हो । खाद्य पदार्थ से आशय खाद्यान्न, शक्कर, नमक, दलहन, तिलहन आदि से है ।

1.8 शब्द **जिला प्रबंधक** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, में जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला प्रबंधक / प्रभारी जिला प्रबंधक जिसके प्रशासनिक क्षेत्र में रैक प्वाइन्ट / संग्रहण केन्द्र आते है, जिनके हम्माली एवं परिवहन कार्य के लिए परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया है ।

1.9 ***पब्लिक सेक्टर बैंक*** *के अंतर्गत समस्त पब्लिक सेक्टर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सात सहयोगी बैंक तथा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं ।*

2. संविदा के उद्देश्य :-

परिवहनकर्ता जब कभी आवश्यक हो तथा जैसा कि समय-समय पर जिला प्रबंधक द्वारा आदेश दिया जाये, हम्माली व परिवहन कार्य करेगा । साथ ही ऐसी अतिरिक्त सहायता एवं आकस्मिक कर्त्तव्य / सेवायें एवं संचालन देगा, जैसा कि उनके द्वारा दर्शाई जाती है, तथा जो इन नियमों एवं शर्तों से असंगत न हो ।

परिशिष्ट - दो

3. संविदा के पक्षकार :-

3.1 संविदा के पक्षकार परिवहनकर्ता एवं जिला प्रबंधक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. है।

3.2 वह व्यक्ति, जो निविदा फार्म या किसी अन्य कागजात पर जो निविदा फार्म का कोई भाग हो, किसी अन्य व्यक्ति या किसी फर्म की ओर से हस्ताक्षर करता है, तो उसे यह प्राधिकार समझा जावेगा कि वह संविदा से संबंधित मामलों में,यथासथिति पंच निर्णय धारा सहित ऐसे अन्य व्यक्ति या फर्म को बाध्य करने का अधिकार रखता है । यदि जांच करने पर यह पाया जाता है,कि संबंधित व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है, तो कार्पोरेशन के द्वारा सिविल एवं दाण्डिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त किया जा सकेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को समस्त खर्चों एवं हानियों के लिए उत्तरदायी माना जायेगा ।

4. संविदा की अवधि :-

4.1 जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए हम्माली एवं परिवहन कार्य (एच.एण्ड टी.) करने के लिए अनुबंध करना होगा ।

4.2 निष्पादित किए गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कार्पोरेशन चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य करने हेतु उसमें तीन माह की वृद्धि की जा सकेगी, जिसे मानने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा ।

4.3 निविदा फार्म में भरी जाने वाली दरें निविदा खुलने के दिनांक से स्वीकृति के लिए 120 दिन तक वैध व निविदाकर्ता पर बंधनकारी रहेगी । तथा इसकी आगामी एक माह अवधि बढ़ाने का अधिकार कार्पोरेशन को रहेगा ।

5. कार्य की मात्रा :-

5.1 संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में कार्य देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है ।

5.2 संविदा में किसी भी कार्य के मद का उल्लेख कर देने मात्र से ही संविदाकार को यह मांग करने का अधिकार नहीं मिल जायेगा, कि उन्हें उसका अथवा उससे संबंधित मद का कार्य अनिवार्य रूप से या एकमात्र रूप से सौंप दिया जावे ।

6. निविदाकार की संरचना :-

6.1 निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था है,या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी या कोई हिन्दू अविभाजित परिवार है । निविदा में भागीदार फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए । निविदाकार एक ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, जिसके हाथों में संविदा के दौरान संविदा से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सक्रिय प्रबंध रहेगा । इस व्यक्ति के नाम अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट साइज के तीन छाया चित्र, निविदाकारों द्वारा जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किए जायेंगे । ऐसे मनोनीत किए गये व्यक्ति को यह समझा जायेगा कि उसे संविदा के संबंध में निविदाकार से विधिवत् मुख्त्यारनामा प्राप्त है और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिए बाध्य होंगे ।

6.2 निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान कार्पोरेशन की पूर्व अनुमति के बिना फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । निविदाकार अपने किसी साझेदार/संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में कार्पोरेशन को तत्काल सूचित करेगा । यदि फर्म की संरचना में भारतीय अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तों के अनुसार अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एवं सोसायटीज़ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के सात दिन के भीतर कार्पोरेशन को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा ।

परिशिष्ट - दो

6.3 जहां संविदाकार भागीदार फर्म है, कार्पोरेशन की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जायेगा । नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि वह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किए गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है ।

6.4 संविदा के पूर्ण होने के पूर्व संविदाकार फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु / सेवा निवृत होने पर कार्पोरेशन अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है तथा ऐसी दशा में संविदाकार फर्म को कार्पोरेशन के विरूद्ध किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा । फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत होने के बावजूद भी यह संविदा समाप्त नहीं की जाती है, तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्य के लिए उत्तरदायी होना तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके द्वारा कार्पोरेशन को पंजीकृत डाक से भागीदार अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती ।

6.5 निविदाकार की मृत्यु उपरांत भुगतान एवं समान शर्तो पर पृथक से अमानत/जमानत राशि देने पर नामांकित व्यक्ति को निविदा जारी रखना / निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

7. उप पट्टे पर देना :-

कार्पोरेशन का हम्माली एवं परिवहन कार्य अहस्तांतरणीय है । जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा । परिवहनकर्ता द्वारा हम्माली एवं परिवहन कार्य अन्य परिवहनकर्ता को उप पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा । उप पट्टे पर कार्य दिए जाने प्रमाणित होने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी ।

8. कार्मिक उत्तरदायित्व :-

8.1 लदाई/उतराई/तुलाई एवं छल्ली लगाने के लिए क्रमशः लदाई / उतराई करने वाले, तुलाई करने वाले एवं छल्ली लगाने वाले श्रमिकों / कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा ।

8.2 परिवहनकर्ता को **संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम 1970** मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 अद्यतन स्थिति सहित एवं अन्य प्रभावशील तथा समय- समय पर प्रभावशील होने वाले संबंधित श्रमिक अधिनियमों के अधीन नियमानुसार अनुज्ञप्ति पत्र लेना आवश्यक होगा ।

8.3 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेंगा एवं आवश्यक प्रपत्र / विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उदभुत हुए समस्त दायित्वों के लिये परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा ।

8.4 उक्त समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा, कि वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों / कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधायें हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करायें एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने की जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी । इस संबंध में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

8.5 लंबी दूरी परिवहनकर्ता रेल्वे से शक्कर रैक आने पर जिला प्रबंधक के आदेशानुसार रेल्वे स्टेशन से भी कार्पोरेशन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सीधे प्रदाय केन्द्रों तक शक्कर परिवहन हेतु बाध्य रहेंगे । अतः एच.एण्ड टी.परिवहनकर्ता की वजह से रैक से एल.आर.टी. परिवहनकर्ता द्वारा सीधे परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो उसे डिफास्टैड मात्रा पर रू0. 15/- प्रति क्विंटल (बोरा) की दर से शास्ति (पैनाल्टी) संबंधित जिला प्रबंधक के प्रस्ताव पर मुख्यालय द्वारा अधिरोपित कर 90 प्रतिशत भुगतान में से ही वसूली की जायेगी ।

परिशिष्ट - दो

8.6 परिवहन कार्य के दौरान घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं परिवहनकर्ता का होगा । श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा । *कर्मचारी / श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे । उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी श्रमिकों से संबंधित किसी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में कार्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।* **साथ ही परिवहनकर्ता को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।**

8.7 यदि परिवहनकर्ता द्वारा किये गये किसी कृत्य की कोई जवाबदारी अथवा कोई भार कार्पोरेशन को वहन करना पडता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूत राशि में से अथवा उसके बिलों में से वसूल किया जायेगा ।

8.8 यदि परिवहनकर्ता के नियोजित श्रमिकों / कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की क्षति, विलम्ब अथवा गड़बडी की जाती है तो उससे हुये नुकसान की वसूली परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

8.9 यदि हम्माली एवं परिवहन कार्य के दौरान किसी स्थान पर उसके श्रमिकों / कर्मचारियों द्वारा वाहन खडी कराई, रस्सा कसाई, रास्ता बताई आदि नामों से कोई भुगतान किये जाते है, तो इस प्रकार के भुगतान व परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टोल टैक्स व अन्य शुल्क प्रभार तथा समय-समय पर अधिरोपित जो भी देय हों, परिवहनकर्ता को स्वयं वहन करना होंगे, कार्पोरेशन द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

8.10 राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवत कोई भी कर / दायित्व / अधिभार आदि लागू किये जाने की दशा में भुगतान का दायित्व परिवहनकर्ता की होगी । किसी भी दशा में स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा । परिवहनकर्ता द्वारा ऐसे दायित्व का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में देयकों से कटौती कर भुगतान किया जावेगा ।

9. परिवहन - कार्यक्रम अनुसार परिवहन कार्य न करने की दशा में :-

9.1 यदि कोई परिवहनकर्ता कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता तो उस स्थिति में कार्पोरेशन द्वारा संविदा को रदद किये बिना विभागीय रूप से वर्णित हम्माली एवं परिवहन कार्य कराया जा सकता है । यह कार्य नियुक्त परिवहनकर्ता की **जोखिम एवं खर्च** पर माना जायेगा तथा ऐसे परिवहन कार्य की दर स्वीकृति दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक जोड़कर आंकी जायेगी एवं अंतर की राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जायेगी ।

9.2 परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम अनुसार लगातार परिवहन कार्य में निराशाजनक/ टालमटोल, प्रदर्शन एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार के अभद्र, अशोभनीय व्यवहार को उसकी परिवहन कार्य हेतु अयोग्यता मानी जाकर, संबंधित परिवहनकर्ता को काली सूची में दर्ज कर भविष्य में उस कार्य विशेष हेतु आयोजित की जाने वाली निगम की परिवहन निविदाओं मे किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु दो वर्षो के लिए उस कार्य विशेष हेतु अनुपयुक्त / अयोग्य घोषत की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार से अनुपयुक्त घोषित करने के पूर्व सात दिवस का कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और उत्तर संतोषजनक प्राप्त नहीं होने अथवा कोई उत्तर प्राप्त न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।यदि निविदाकार परिवहनकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर / बिजनेस एसोसिएट्स / स्टाफ / मजदूर / के विषय में निगम प्रबंधन को विश्वास हो जाता है,कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा आचरण संदिग्ध है, तब निगम के सर्वोच्च छवि एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध तंत्र ऐसे निविदाकारों को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात अथवा कार्य स्वीकृत होने के दौरान निविदा / निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अथवा निविदा स्वीकृत होने की दशा में परिवहन कार्य करने से वंचित अथवा कार्यच्युत कर सकेगा । इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम

परिशिष्ट - दो

होगा । इस प्रकार निगम की प्रतिष्ठा / छवि / कार्य कुशलता पर जो विपरीत असर पड़ा है,उसकी उपयुक्त रिकवरी निगम प्रबंध तंत्र ऐसे निविदाकर्ता / परिवहनकर्ता से वसूली कर सकेगा / करने का पात्र रहेगा ।

9.3 यदि कोई परिवहनकर्ता कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करता है तो जिला प्रबंधक को अधिकार होगा, कि वह संविदा को बिना रदद किये स्वतंत्र रूप से अन्य परिवहनकर्ता/ छत्तीसगढ़ शासन के किसी निगम / संस्था से या ऐसी व्यवस्था जिसे वह उपयुक्त पाता है, इस संविदा के अधीन अनुबंधित परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर हम्माली एवं परिवहन कार्य संपादित करा ले । इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति, हानि एवं खर्चो को न्यूनतम स्वीकृत दर का 25 प्रतिशत या वास्तविक जो भी अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित परिवहनकर्ता का होगा ।

9.4 अन्य अधिकारों एवं उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक को यह भी अधिकार होगा, कि वह जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये हम्माली एवं परिवहन कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकृत परिवहनकर्ता के कार्य में लगातार असफल रहने की स्थिति में अथवा निविदा के समय या तत्पश्चात अनुबंध / संविदा निष्पादन के दौरान या परिवहन कार्य के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा कोई असत्य, छलपूर्ण या अवास्तविक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में अथवा अनुबंध के किसी भी नियम, निर्देश या शर्त या शर्तो का परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, अनुबंध को समाप्त कर दे और / या अनुबंध की शेष अवधि के लिये परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्चै पर काम करवायें और / या प्रतिभूति राशि जप्त कर लें या उसका कोई भाग किसी क्षति हानि, शुल्क, खर्च, मूल्य जो कि कार्पोरेशन द्वारा परिवहनकर्ता की उपेक्षा या अनुबंध के अधीन कोई काम न करने के कारण वहन किये जाने वाली है या वहन की गई है, के कारण जप्त कर लें और / या इस कारण हुये नुकसान या खर्च किये धन को परिवहनकर्ता से वसूल कर लें । इसके अतिरिक्त् परिवहनकर्ता को कार्पोरेशन की संबंधित कार्य विशेष की भावी निविदाओं में भविष्य में दो वर्ष के लिये किसी भी हैसियत से कार्य करने / भाग लेने के लिये अनुपयुक्त एवं अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है ।

9.5 अनुबंध निष्पादन उपरांत परिवहन कार्य आदेश के विपरीत कार्य करना पाए जाने पर अथवा स्थानीय प्रशासन अथवा निगम प्रबंधन द्वारा परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की दशा में अनुबंध निरस्त किया जाकर अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जाएगी एवं काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है।

10. प्रतिभूति राशि :-

10.1 **प्रथम निविदाकार हेतु :-** प्रथम निविदाकार के लिए जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे निर्धारित अवधि में निम्नानुसार प्रतिभूति की राशि जमा कर अनुबंध करना होगा :

10.1.1 **परिशिष्ट-5 उल्लेखित अ-1 के कार्यो के लिए** - रू. चार लाख

10.1.2 **परिशिष्ट-5 उल्लेखित अ-2 के कार्य के लिए** - रू. चार लाख

10.1.3 प्रतिभूति राशि 50 प्रतिशत जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ (संबंधित जिला) के पक्ष में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफट से तथा शेष 50 प्रतिशत दो वर्षो की अवधि की किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की बैंक गारंटी अथवा कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक के पक्ष में किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) के रूप में जमा की जा सकती है अथवा संपूर्ण राशि बैंक ड्राफट के माध्यम से भी जमा की जा सकती है।

परिशिष्ट - दो

10.1.4 यदि निविदाकार, निविदा स्वीकृति की सूचना दिये जाने से निर्धारित अवधि के भीतर संविदा निष्पादित नहीं करता अथवा टालमटोल करता है, तो निविदा के साथ जमा बयाने की रकम (अर्नेस्टमनी) 2,00,000/- रूपये बगैर किसी भी सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वयं ही जप्त हो जायेगी । उसकी निविदा निरस्त मानी जावेगी तथा कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य निविदाकार की निविदा इस कार्य के लिये स्वीकार कर ले । सफल निविदाकार की कोई आपित्त मान्य नहीं होगी।

10.1.5 प्रतिभूति राशि यह स्पष्ट समझ पर स्वीकार की जायेगी कि जो बैंक के निष्फल हो जाने पर या किसी अन्य कारण से निगम को होने वाली किसी प्रकार की हानि, समस्त देयक, क्षतिपूर्ति के लिए अनुबंधित परिवहनकर्ता पूर्णतः उत्तरदायी होगा व उससे हर्जाना वसूल किया जा सकेगा ।

10.1.6 प्रतिभूति राशि जितने समय तक कार्पोरेशन के पास जमा रहती है । उतने समय के लिए कार्पोरेशन द्वारा प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

10.1.7 संविदा के समाप्त होने की स्थिति में प्रबंध संचालक को परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को पूर्णतः या अंशतः जप्त करने या प्रतिभूति राशि या उसके किसी भाग को कार्पोरेशन द्वारा खर्च किये गये या खर्च किये जाने वाले खर्च, कीमत शुल्क हानि, क्षति के लिये बकाया किसी धन में समायोजित करने का अधिकार होगा ।

10.1.8 यदि प्रतिभूति राशि अपर्याप्त होने पर अथवा प्रतिभूति राशि को पूर्णतः जप्त किये जाने पर भी वसूली योग्य कुछ राशि शेष रह जाती है, तो ऐसी कुल राशि का शेष भाग कार्पोरेशन के साथ किए गये अनुबंध अथवा अन्य किसी अनुबंध के अंतर्गत परिवहनकर्ता की अथवा उस समय या उसके बाद किसी भी समय देय राशि में से वसूल कर लिया जायेगा । यदि वह राशि भी वसूली की जाने वाली राशि के लिये अपर्याप्त रहती है, तो परिवहनकर्ता से मांग किए जाने पर वह शेष राशि कार्पोरेशन को अदा करने हेतु बाध्य रहेगा, अन्यथा किसी भी हैसियत से भावी निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुपयुक्त / अयोग्य घोषित माना जावेगा ।

10.1.9 जब कभी भी निर्दिष्ट राशि से प्रतिभूति राशि कम पडती हो तो परिवहनकर्ता इस कमी को तत्काल पूरा करेगा ताकि किसी भी समय प्रतिभूति राशि निर्धारित राशि से कम नहीं रहे ।

10.1.10 संविदा समाप्त कर देने पर प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध के संबंध में कार्पोरेशन को हुई या होने वाली किसी भी क्षति, हानि, उठाये गये प्रभार, खर्चो अथवा लागतों के लिए दावा की जाने वाली किसी भी रकम की पूर्ति के लिए परिवहनकर्ता द्वारा जमा कराई गई पूरी प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग को जप्त कर ले अथवा पूरी प्रतिभूति जमा अथवा उसके किसी भाग को समायोजित कर ले ।

10.1.11 परिवहनकर्ता को इस प्रतिभूति राशि की वापसी, अनुबंध की शर्तों, नियमों निर्देशों पर सेवाओं के उचित एवं संतोषजनक निष्पादन और सभी दायित्वों के पूरा किये जाने पर, इस शर्त पर वापिस की जायेगी कि यदि अनुबंध के संबंध में परिवहनकर्ता के नाम कार्पोरेशन के दावे हों, तो उनकोपूरा करने के लिए प्रतिभूति राशि से कटौती कर ली जावेगी । क्षति, हानि, शुल्क या कीमत खर्चो के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम व परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा ।

10.2 **<u>द्वितीय परिवहनकर्ता हेतु प्रतिभूति राशि :-</u>**

द्वितीय परिवहनकर्ता से, आपात स्थिति / प्रबंधन विवेकानुसार कार्य कराने के लिये, अनुबंध निष्पादित कराया जायेगा । इस हेतु द्वितीय परिवहनकर्ता को रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) सांकेतिक ई0एम0डी0 राशि, कार्पोरेशन में जमा रखना होगी । प्रबंधन के विवेकानुसार ऐसी स्थिति निर्मित होने पर जब द्वितीय परिवहनकर्ता से उसकी द्वितीय न्यूनतम दर पर परिवहन कार्य करवाया जावेगा । वह कार्य प्रथम परिवहनकर्ता की रिस्क एण्ड कास्ट पर ही होगा ।

परिशिष्ट - दो

11. भुगतान :-

11.1 प्रत्येक प्राधिकृत परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह के हम्माली एवं परिवहन कार्य के बिल अगले माह की पंद्रह तारीख तक जिला प्रबंधक को निर्धारित फार्म में आवश्यक प्रपत्र / कागजात (निर्धारित प्रारूप पर बिल/पावती/प्राप्त ट्रक चालान/तौल पत्रक/सामग्री का घटती-बढ़ती पत्रक हम्माली भुगतान पत्रक (क्रियान्वयन प्रतिवेदन) **ई.आर.पत्रक** एवं अन्य कागजात जो समय समय पर निर्धारित किये जायें) सहित प्रस्तुत करने होंगे । अपूर्ण बिलों के भुगतान में विलम्ब का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता होगा एवं इसके लिए जिला प्रबंधक पृथक से देयक अपूर्णता बावत पत्र भेजकर परिवहनकर्ता को सूचित करने हेतु बाध्य नहीं होगा । अतः इसके आधार पर उसके द्वारा कार्य रोका नहीं जा सकेगा । परिवहन देयकों को माह समाप्ति के बाद अधिकतम 2 माह में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, इस अवधि के बाद क्लेम स्वीकार नहीं होगा ।

परिवहनकर्ता प्रत्येक कलेण्डर माह के परिवहन कार्य के लिए भुगतान हेतु अधिकतम दो बार, पाक्षिंक रूप से देयक प्रस्तुत कर सकेगा ।

11.2 परिवहनकर्ता अपने देयक सभी निर्धारित प्रपत्रों एवं आवश्यक जानकारी सहित जिला कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करेगा जिससे उनके बिलों का नियमानुसार परीक्षण कर 90 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान देयक प्राप्ति से सात कार्य दिवस में जिला प्रबंधक द्वारा सुगमता से किया जा सके। यह 90 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कटौतियों के बाद किया जायेगा और यह ध्यान में रखा जाए कि परिवहनकर्ता की ओर से शेष राशि से अधिक वसूली तो नहीं निकलती है । तत्पश्चात शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कटौती उपरांत पच्चीस कार्य दिवस के भीतर परीक्षणोपरान्त कर दिया जाएगा। अगर वर्णित देयकों में नियमानुसार कोई अपूर्णता या औपचारिकता शेष रहती है तो वर्णित समयावधि में संबंधित परिवहनकर्ता को जिला प्रबंधक द्वारा एक ही बार में अवगत करा दिया जाएगा ।

11.3 समस्त स्थानीय बेस डिपो / गोदाम जो नगर पालिका निगम / नगर पालिका / विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा से आठ किलोमीटर बाहर तक होंगे, का स्वीकृत दर से ही भुगतान किया जाएगा तथा स्थानीय गोदाम बदलने की स्थिति में भी स्वीकृत दरों से ही भुगतान किया जावेगा जो मान्य व बंधनकारी होगा ।

11.4 **परिशिष्ट-पांच** में दर्शाये गये कार्यो के आधार पर समस्त कार्य हेतु प्रति बोरा की दर चाही गई है तथा इसी आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसमें परिवहनकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

11.5 भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से गठित भगीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में कार्पोरेशन द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा ।

11.6 परिवहनकर्ता द्वारा रेल्वे विभाग से जीवंत संपर्क रखते हुए रेल्वे रैक प्राप्त होते ही रेल्वे से आर0 आर0 में दर्शाये अनुसार शक्कर की नेट मात्रा की बोरों में सुपुर्दगी ली जावेगी । यदि परिवहनकर्ता को आर0आर0 के ऐवज में जिला प्रबंधक द्वारा इन्टेमिटी बॉन्ड डिलेवरी हेतु दिया जाता है तो भी परिवहनकर्ता द्वारा रैक की नियमानुसार सुपुर्दगी ली जायेगी । साउन्ड /कटे फटे / गीले / लूज बोरों में छटाई (सेग्रीगेशन) किये जाने का दायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा, जिससे संग्रहण केन्द्र (गोदाम) में साउन्ड बोरे 10 प्रतिशत तौल कराकर सर्वप्रथम जमा कराये जायेंगे । अंत में कटे फटे, लूज, गीले बोरे शत प्रतिशत तौल के आधार पर जमा कराये जायेंगे । यदि साउन्ड बोरों की किन्ही कारणों से शत प्रतिशत तौल की स्थिति बनती है तो परिवहनकर्ता तौल की आवश्यक व्यवस्था कर ऐसे साउन्ड बोरों का तौल व्यय परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा । अतएव परिवहनकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि रेल्वे स्टेशन से ट्रकों में साउन्ड बोरे ही पृथक से सावधानीपूर्वक लोड़ कर

परिशिष्ट - दो

परिवहन कर गोदाम भेजे जावें । ऐसे इन्टेक्ट बोरे जिनमें परिवहनकर्ता को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि 50 किलो की भरती से कम है तथा बोरा कटा-फटा, लूज, गीला नहीं है तो रैक से समस्त ऐसे प्राप्त बोरों की तौल भी रेल्वे स्टेशन पर 100 प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करेंगें । यदि ऐसे अनसाउन्ड बोरे साउन्ड बोरे की 10 प्रतिशत तौल में सम्मिलित पाये जाते हैं और स्कंध का जमा औसत इससे प्रभावित होता है तो शक्कर की ऐसी स्कंध कमी की प्रतिपूर्ति बावत समस्त जवाबदारी परिवहनकर्ता की जवाबदारी होगी । परिवहनकर्ता को संग्रहण केन्द्र में माल उक्तानुसार जमा कर आवश्यक एवं निर्धारित प्रमाण पत्र देयक के साथ संलग्न करना होगा जिससे परिवहन कमी का आंकलन कर देयकों का त्वरित भुगतान किया जा सके । हम्माली एवं परिवहन कार्य में कोई परिवहन कमी मान्य नहीं होगी ।

11.7 शक्कर रैक में एच.एण्ड टी. के दौरान स्कंध कमी का कटौत्रा परिवहनकर्ता से किया जायेगा । ऐसे प्रकरणों में मात्र वह मात्रा जिसके बारे में परिस्थितियों के आधार पर यदि शक्कर फैक्टरी के बिल से कोई कटौत्री का निर्णय लिया जाता है तो केवल इस मात्रा की कटौती की राशि की परिवहनकर्ता को वापसी फैक्टरी के देयकों से कटौती की दिनांक से वर्तमान विधिमान्य अवधि तीन वर्ष के अंतर्गत यदि संबंधित फैक्टरी द्वारा न्यायालय में कोई प्रतिवाद दाखिल नहीं किया जाता है तो राशि कटौती के तीन वर्ष के पश्चात या न्यायिक प्रतिवाद होने पर निर्णयउपरान्त व न्यायिक आदेशानुसार परिवहनकर्ता को रोकी गई राशि वापिस की जावेगी । इस बारे में कार्पोरेशन का निर्णय परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा ।

11.8 सिर्फ गेहूं / खाद्यान्न रैक लदान के लिए उपार्जन केन्द्रों / खरीदी केन्द्रों / संग्रहण केन्द्रों / गोदाम से प्राप्त ट्रकों की तुलाई यथासंभव वे बिज से या जहां जो व्यवस्था उपलब्ध है से की जायेगी । तथा वे-ब्रिज तौल को लदान / रैक भरती के लिए रिकार्ड में लिया जायेगा । इसी तरह रैक अनलोडिंग के समय रेल्वे स्टेशन पर पूर्ण तुलाई संभव न हो पाने पर वे ब्रिज या जहां जो व्यवस्था उपलब्ध हो, से की जायेगी । इस हेतु ट्रक रेल्वे प्लेटफार्म से सीधे वे-ब्रिज होते हुए गोदाम (सीधे एल.आर.टी. की स्थिति में भी) प्रेषित होंगे । हम्माली एवं परिवहन कार्य में कोई कमी मान्य नहीं होगी ।

12. परिवहनकर्ता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

12.1 परिवहनकर्ता स्वयं जिला प्रबंधक से हम्माली एवं परिवहन का अग्रिम कार्यक्रम लिखित में प्राप्त करेगा और प्रदाय किये गये कार्यक्रम के अनुसार कार्य समयावधि मे पूर्ण करेगा । यदि परिवहनकर्ता स्वतः परिवहन कार्यक्रम प्राप्त नहीं करता है तो जिला प्रबंधक परिवहनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि / प्रबंधक को परिवहन कार्यक्रम प्रदान करेगा । यदि जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये कार्यक्रम की तामीली इनमें से किसी पर भी कराना संभव नहीं हो, तो वह उक्त तामीली संबंधित परिवहनकर्ता के घोषित कार्यालय भवन पर दो साक्षियों के समक्ष यथा उपयुक्त स्थान पर चिपकाकर की जा सकेगी ।

12.2 निर्देशों / शर्तो में वर्णित कार्यकलापों को करते समय परिवहनकर्ता सदैव उचित परिश्रम के साथ कुशल, आचार, व्यवहार एवं ढंग से कार्य करने तथा एक सामान्य मितव्ययी व्यक्ति की भांति अपेक्षित दक्षता का उपयोग करने के लिए आबद्ध होगा ।

12.2.1 **हम्माली एवं परिवहन कार्य में शक्कर लोडिंग के दौरान परिवहनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि भेजकर शक्कर फैक्टरी में शक्कर लोड करावें तथा आर.आर. (सेंड टू कन्टेंट / क्लीयर आर.आर.) जैसी भी स्थिति में शक्कर में कोई भी कमी मान्य नहीं की जावेगी ।**

12.3 परिवहनकर्ता को रेल्वे स्टेशन से निरंतर संपर्क स्थापित कर आने वाले रेल्वे रैक एवं बैगन्स की जानकारी रखनी होगी । रैक / बैगन आने की जानकारी मिलते ही उसे रेल्वे भाडे को जमा करके डिलेवरी लेने की कार्यवाही करनी होगी । भाडे की राशि जिला प्रबंधक द्वारा दी जायेगी । यदि परिवहनकर्ता द्वारा रेल्वे भाड़े का भुगतान किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति कार्पोरेशन द्वारा की जायेगी ।

परिशिष्ट - दो

12.4 परिवहनकर्ता का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह बैगनों से शक्कर / खाद्यान्न, अन्य स्कंध उतारने एवं परिवहन करने का काम रेल्वे द्वारा दी गई निःशुल्क अवधि के भीतर पूरा करे। डेमरेज / वारफैज का समस्त उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा । कार्पोरेशन द्वारा किसी भी प्रकार के डिटेंशन चार्जेस नहीं दिये जायेंगे । अतः परिवहनकर्ता सजग होकर कार्य करें ।

12.5 रेल्वे के प्रत्येक बैगन से माल उतारना आरंभ करने से पहले परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित कर लेगा, कि बैगन पर सील (मुहर) लगी हुई है यदि किसी बैगन की सील (मुहर) टूटी हुई पाई जाती है तो परिवहनकर्ता उस बात को रेल्वे अधिकारियों के ध्यान में लायेंगे तथा आवश्यक प्रमाण पत्र लेंगे । तथा ऐसी स्थिति में माल की सुपुर्दगी रेल्वे के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही परिवहनकर्ता संपन्न करावेंगें । परिवहनकर्ता ऐसे मामले की सूचना जिला प्रबंधक को तुरंत लिखित रूप से देगा ।

12.6 परिवहनकर्ता प्रत्येक बेगन से उतारे गये बोरों की संख्या का पूरा तथा सही रिकार्ड / लेखा रखेगा तथा यदि किसी कमी का पता चलता है तो उस कमी को तुरंत लिखित रूप में जिला प्रबंधक तथा संबंधित रेल अधिकारियो के ध्यान में लायेंगे । परिवहनकर्ता बैगन से प्राप्त हुई क्षतिग्रस्त बोरों के स्टाक को अलग रखेंगे तथा नियमानुसार तौलकर हानि का पता लगाने के बाद वे जिला प्रबंधक तथा रेल्वे विभाग को इस तथ्य की सुचना देंगे एवं रेल्वे के नियमानुसार कार्य करेंगे ।

12.7 रैक में प्राप्त कटे फटे बोरों में यदि निर्धारित मात्रा से शक्कर / अन्य स्कंध कम पाया जाता है तो उन्हें शत प्रतिशत तौल कराकर रेल्वे से निर्धारित प्रपत्र में कमी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा , यदि परिवहनकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो क्षतिपूर्ति का पूरा दायित्व परिवहनकर्ता का होगा । रेल्वे स्टेशन पर कटे फटे बोरों की तुलाई आदि कार्य हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । कटे फटे बोरो की सिलाई इत्यादि हेतु परिवहनकर्ता व्यवस्था करेगा ।

12.8.1 सिर्फ गेहूँ/खाद्यान्न/धान/तिलहन/दलहन/नमक आदि मामलों में परिवहनकर्ता बैगन / माल उतारने के स्थान / रेल्वे स्टेशन / संगहण केन्द्र पर बिखरे और गिरे खाद्यान्न (गेहूँ,चावल,धान आदि) स्कंध को इकटठा करेगा, स्कंध को साफ करके कार्पोरेशन द्वारा दिये खाली बोरों में भरेगा, मजबूती से सिलाई करवाकर और तौलकर संग्रहित केन्द्र को सौपेंगे । यह सफाई इस प्रकार की होनी चाहिये कि बाहय पदार्थ 4 प्रतिशत से अधिक न हो, इस बात का संबंधित जिला प्रबंधक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखेंगे व इससे अधिक प्रतिशत होने पर खाद्यान्न आदि का स्वीपेज स्कंध स्वीकार्य नहीं होगा व इस संबंध में कटोत्रा परिवहनकर्ता के बिलों से किया जायेगा ।

12.8.2 **खाद्यान्न/चावल रैक हैण्डलिंग यथा रेल्वे रैक प्वाइण्ट पर अनलोडिंग व ट्रकों में लोडिंग तथा संग्रहण गोदाम पर ट्रक से अनलोडिंग, तौल, थप्पी आदि कार्य के दौरान हुई स्वीपिंग खाद्यान्न बिन्दु क्रमांक 12.8.1 पर निर्धारित मानक अनुरूप होने पर जमा स्वीकार किया जावेगा जिसमें प्रत्येक क्विंटल हेतु प्रथम 100 ग्राम तक कोई दण्ड राशि वसूल नहीं की जावेगी । अधिक स्वीपिंग हेतु रूपये 2000.00 (रूपये nk gtkj मात्र) प्रति क्विंटल की दर से दण्ड राशि परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी ।**

शक्कर रेक हैंडलिंग रेल रेक प्वाइंट पर अनलोडिंग व ट्रकों में लोडिंग तथा संग्रहण गोदाम पर ट्रक से अनलोडिंग तौल, थप्पी आदि कार्य के दौरान हुई स्वीपिंग/गीली शक्कर स्वीकार नहीं किया जावेगा । स्वीपेज/गीली शक्कर परिवहनकर्ता की होगी तथा शक्कर में कमी हेतु उपभोक्ता मूल्य से nk xquk से कटौती की जायेगी ।

12.8.3 शक्कर रैक के मामलों में अनुबंधित एच0एण्ड टी0 परिवहनकर्ता निर्धारित फैक्ट्री से और गेहूँ / खाद्यान्न के मामलों में निर्धारित लोडिंग स्टेशन पर परिवहनकर्ता को अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्वयं के व्यय पर निर्धारित रेलवे प्वाइंट पर कार्पोरेशन के निर्धारित मूवमेंट कार्यक्रम अनुसार लोडिंग स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के देख रेख में कराया जाना होगा ।

परिशिष्ट - दो

12.8.4 **चावल प्रेषित करने वाले जिले के हम्माली एवं परिवहनकर्ता को स्कंध की लोडिंग के साथ-साथ गंतव्य रेलवे स्टेशन पर अनलोडिंग का कार्य भी संपादित करना है । अतः लोडिंग स्टेशन के एच.एंड टी. परिवहनकर्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह रेलवे से संपर्क स्थापित करे एवं रेक की लोडिंग / अनलोडिंग संपूर्ण सावधानी के साथ करते हुए रेलवे से समुचित आर.आर. प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा । अनलोडिंग स्टेशन पर कमी हेतु रेक लोडिंग करने वाले परिवहनकर्ता का उत्तरदायित्व होगा । अतएव रेक लोडिंग करने वाले परिवहनकर्ता को अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनलोडिंग रेक प्वाइंट पर स्वयं या अपना अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रखकर अनलोडिंग का कार्य संपन्न करावें ।**

12.9 शक्कर / अन्य स्कंध को कुशलतापूर्वक उठाने / धरने तथा लादने के कार्य के सुनिश्चित करने, कार्य विवरणों तथा लेखों की सही तथा अद्यतन स्थिति /सूचना/ प्रगति दिखाने के लिए परिवहनकर्ता पर्याप्त कर्मचारी / श्रमिकों की व्यवस्था करेगा । परिवहनकर्ता का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि उनके कर्मचारियों का आचरण अच्छा हो तथा उनकी अपनी / उनके कर्मचारियों अथवा एजेंटो अथवा प्रतिनिधियों की उपेक्षा, असावधानी, अकुशलता अथवा कदाचार के कारण कार्पोरेशन को होने वाली हानियों के लिये उन्हें मुआवजा देना होगा ।

12.10 रेल शीर्षो / गोदामों पर शक्कर / गेहूँ अन्य आदि स्कंध उतारने / भारी माल वाहनों या अन्य किसी प्रकार के वाहनों में लादने / उतारने व रखते समय शक्कर व अन्य स्कंध आदि के अपव्यय को रोकने तथा उनको क्षति होने से बचाने के लिए परिवहनकर्ता उपयुक्त कार्यवाही करेंगें तथा आवश्यक सावधानी बरतेंगे । शक्कर आदि को भली-भांति न उठाने / धरने के कारण कार्पोरेशन को होने वाली किसी भी हानि के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होंगे । अपव्यय / क्षति को रोकने के लिए परिवहनकर्ता माल उतारने / लादने के स्थान पर शक्कर आदि के बोरो के लिए अपने तिरपाल अथवा बोरे बिछायेंगे ।

12.11 वर्षा के समय प्रत्येक भारी माल वाहन में लदी शक्कर / खाद्यान्न आदि के बोरों को ढ़कने के लिए परिवहनकर्ता पर्याप्त संख्या में तिरपालों की व्यवस्था करेगा । और इस संबंध में परिवहनकर्ता द्वारा पर्याप्त संख्या तिरपालों की व्यवस्था न करने अथवा उचित सावधानी न बरतने के कारण यदि शक्कर/खाद्यान्न आदि को वर्षा से हानि पहुॅचती है तो उसके लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा ।

12.12 परिवहनकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी कार्य में उनके द्वारा नियोजित हम्माल किसी भी स्थिति में शक्कर आदि के बोरों को उठाने और रखने के लिए हुकों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे शक्कर आदि के बोरों में छेद या रिसन की स्थिति बने । यदि इस कारण स्कंध को क्षति पहुॅचती है तो उसकी क्षति पूर्ति भी परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

12.13 परिवहनकर्ता रेल्वे तथा पुलिस / नगर पालिका प्राधिकारियों के सभी नियमों तथा विनियमों को दृढ़ता से पालन करेगा ।

12.14 परिवहनकर्ता की लापरवाही अथवा संविदा के अंतर्गत किसी भी सेवा को कुशलता से निष्पादित न करने अथवा संविदा में दी गई किसी शर्त का उल्घन करने अथवा विलंब शुल्क, घाटा, भाडा आदि बचत के प्रयोजनों से कार्य जल्दी न निपटाने के कारण कार्पोरेशन को हुई अथवा कार्पोरेशन द्वारा उठाई गई सभी क्षतियों, लागतों, प्रभारों और खर्चो को परिवहनकर्ता को अदा करना होगा । यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही से या अन्यथा किये गये कार्य के कारण कार्पोरेशन को हानि पहूॅचती है, तो उसे परिवहनकर्ता को पूरा करना होगा ।

12.15 कार्पोरेशन को वस्तुऐं सौपने, वाहनों के खराब होने या किन्ही अन्य सक्षम अधिकारियों / निरीक्षकों द्वारा किन्ही नियमों या विनियमों का परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने पर रोके जाने के कारण हुए विलंब / विलंब से हुई हानि / क्षति के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा । जप्त किये गये वाहनों का माल गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा ।

12.16 परिवहनकर्ता उन वाहनों से जिसमें कार्पोरेशन की शक्कर / खाद्यान्न लादी गई है अन्य कोई वस्तुओं का लदान नहीं करेगा ।

परिशिष्ट - दो

12.17 रेल्वे से प्राप्त डनेज के बोरे परिवहनकर्ता के होंगे । इसके ऐवज में डनेज के बोरे गिनकर जिला प्रबंधक के प्रमाणीकरण अनुसार डनेज के बोरों की राशि नियमानुसार 6.00 रू0. प्रति बोरे के हिसाब से जमा की जायेगी, अन्यथा यह राशि उनके बिलों से काटी जायेगी ।

12.18 रेल्वे स्टेशन से गंतव्य स्थान / गोदाम तक शक्कर / खाद्यान्न आदि निर्धारित अवधि में सुरक्षित पहुॅचाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा वर्षा में रस्सी तथा तिरपाल आदि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा । इसके फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो परिवहनकर्ता के बिलों / प्रतिभूति राशि में से सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी । निर्धारित अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है जो सामान्य रूप से उतनी दूरी के लिये परिवहन करने में सामान्यतः लगती है ।

12.19.1 खाद्यान्न / शक्कर आदि जिस भरती के बोरों, जूट/एच.डी.पी.ई./कपडा में पैक होगी, उसी में परिवहनकर्ता को हम्माली व परिवहन करना होगा, किन्तु भुगतान स्वीकृत दरों पर ही किया जायेगा ।

12.19.2 बोरों के धड़े (वजन) के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं होगा उसका पारिश्रमिक शक्कर/खाद्यान्न आदि के हम्माली एवं परिवहन दर में ही सम्मिलित होना माना जाएगा ।

12.20 कर, ईधन, श्रमिक आदि की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

12.21 सर्दी, गर्मी, वर्षा के मौसम (संविदा की अवधि) में स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जायेगा ।

12.22 जहाँ तौल की जो विधि होगी (बीम स्केल/ वे ब्रिज) उसी के अनुसार तौल कराई जायेगी, तौल विधि में अंतर होने के कारण किसी प्रकार की कमी में छूट नहीं दी जायेगी । स्कंध कमी की वसूली परिवहनकर्ता के देयक से की जायेगी ।

12.23 हम्माली एवं परिवहन निविदा पर रेक लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान उपलब्ध तौल सुविधा बीम स्केल अथवा वेब्रिज से तौल कराई जावेगी लेकिन तौल की विधि में अंतर होने पर किसी भी प्रकार से कमी में छूट नहीं दी जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निविदाकार अपनी दरें प्रस्तुत करें ।

12.24 परिवहनकर्ता को स्कंध की डिलेव्हरी निर्धारित समयावधि में ही किया जाना है और यदि बिना पर्याप्त दस्तावेजिक प्रमाणों के स्कंध की सुपुर्दगी में विलंब पाया जाता है तो परिवहनकर्ता पर कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।

12.25 नियुक्त परिवहनकर्ता को शासन / निगम द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत निर्णय/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13. कार्पोरेशन को हुई हानि आदि के लिये परिवहनकर्ता के उत्तरदायित्व एवं देयताऐं :-

13.1 शक्कर, चावल, गेहूं, नमक आदि में आई परिवहन कमी का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। अर्थात कमी मात्रा का अधिक प्राप्त मात्रा से कोई समायोजन नहीं किया जायेगा। शक्कर में आई परिवहन कमी हेतु उपभोक्ता मूल्य से दो गुना, गेहूं में आई परिवहन कमी हेतु 20.00 रू. प्रति किलो की दर से, चावल में आई परिवहन कमी हेतु रू. 30.00 प्रति किलो की दर से एवं नमक में आई कमी हेतु रू. 5.00 प्रति किलो की दर से एवं अन्य अनियंत्रित वस्तुओं के लिए प्रचलित बाजार भाव से रू. 3.00 प्रति किलो अधिक की दर से परिवहनकर्ता के बिल से वसूल की जायेगी, तथा यूनिट में कमी होने पर रू0 30.00 बारदाना प्रति यूनिट की दर से बारदाना मूल्य की वसूली की जायेगी।

13.2 परिवहनकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण कार्पोरेशन को हुई किसी क्षति, हानि अथवा कार्पोरेशन द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्च के दावे की कुल राशि कार्पोरेशन द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी, जो कार्पोरेशन के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा किसी अनुबंध के अधीन उस समय अथवा इसके बाद किसी भी समय परिवहनकर्ता को देय

होगी । यदि कार्पोरेशन द्वारा परिवहनकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पडती है, तो दावा की गई और परिवहनकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि परिवहनकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति जमा में से काट ली जायेगी। यदि कार्पोरेशन द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिए यह राशि अपर्याप्त रहती है तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग कार्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर परिवहनकर्ता को अदा करना होगा, अन्यथा कार्पोरेशन कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के उक्त् राशि वसूल कर सकेगा ।

13.3 यदि परिवहनकर्ता श्रमिकों, तुलाओं, बांटो आदि की व्यवस्था में चूक करता है, और अथवा इस संविदा में उल्लेखित किसी सेवा को कुशलतापूर्वक करने में असफल रहता है तो प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह इस संविदा के अधीन अन्य अधिकारों व उपायों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिवहनकर्ता से मुआवजा / नुकसान का भुगतान वसूल करे ।

यदि किसी स्थान पर परिवहनकर्ता द्वारा लदाई, उतराई आदि का भुगतान नहीं किया जाता है और कार्पोरेशन को लदाई, उतराई प्रभार का भुगतान करना पडता है तो कार्पोरेशन द्वारा किये गये भुगतान से तीन गुना अधिक राशि उसके बिल से काटी जायेगी ।

कार्पोरेशन के खाद्य पदार्थ / शक्कर / गेहूं / बारदाना / नमक आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहूचाने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा । मार्ग में चोरी / दंगा / लूट / दुर्घटना के परिणामस्वरूप माल को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा होने वाली कमी का दायित्व भी परिवहनकर्ता का होगा तथापि देवी प्रकोप अथवा ऐसी कोई परिस्थिति जो कि परिवहनकर्ता की शक्ति से परे हो, ऐसे में निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा, व निर्णय अंतिम एवं परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा ।

13.4 निविदाकार की घोषित चल एवं अचल संपत्ति उस स्थिति में दायित्व के दायरे में रहेगी जबकि अन्य समस्त मदों से वसूली उपरांत भी कोई रकम परिवहनकर्ता से वसूली योग्य शेष रह जावेगी ।

13.5 परिवहनकर्ता को सौंपे गये निर्धारित मात्रा अनुसार एवं समान गुणवत्ता का गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाना आवश्यक है । स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी भी तरह की यदि हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो *gkfu dh olyh grq gj lHko o/kkfud dk;okgh dh tk,xhA lkFk gh* **परिवहनकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन को राजसात करा दिया जावेगा एवं परिवहनकर्ता की चल-अचल संपत्ति से भरपाई के लिए निगम स्वतंत्र रहेगा** *,oa Hkk&jktLo lafgrk varxZr olyh dh dk;okgh dh tk,xhA*

अमानत में खयानत करने पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार परिवहनकर्ता के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कर ऐसे परिवहनकर्ता को इस निगम एवं राज्य शासन / केन्द्र शासन के निगमों में भी कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दस वर्ष के लिए काली सूची में डाली जावेगी । इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी निगम द्वारा कराया जावेगा ।

14. विवादों का निराकरण :-

14.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित, इस अनुबंध के पूर्व इस अनुबंध एवं निविदा के पालन के समय अथवा उसके पश्चात उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को किसी भी पक्ष द्वारा एक मात्र आर्बीट्रेटर को उस विवाद के निराकरण के लिये संदर्भित किया जावेगा । यह आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय / एवार्ड दोनों पक्षों को बंधनकारी एवं मान्य होगा ।

14.2 आर्बीट्रेशन द्वारा विवादों को निपटाने के लिये की गई कार्यवाही, आर्बीट्रेशन कौन्सिलिएशन एक्ट, 1996 (नं. 26 ऑफ 1996) के अंतर्गत होगी ओर ऐसे समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा ।

परिशिष्ट - दो

15. व्यवहार एवं आचरण :-

परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी / श्रमिक कार्पोरेशन के समसत अधिकारियों / कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सामन्जस्य स्थापित कर विवेक रखते हुए परिवहन कार्यो के सुचारू संपादन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसके कर्मचारियों / अधिकारियों की निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों से झगडालू दबाव की मनोवृत्ति / प्रवृत्ति अथवा अभद्र अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर निगम के जिला प्रबंधक/ मुख्यालय संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पर निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे उसके अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दें एवं उसके इस प्रकार के कृत्यों के लिये आगामी निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग से वंचित कर दें एवं अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर, वसूली निर्धारित करें ।

परिशिष्ट - तीन

// शक्कर हेतु रेल रैक प्वाइंटों (स्थानों) की सूची //

क्रमांक	शक्कर रैक प्वाइंट (स्थान) का नाम	रिमार्क
01	रायपुर	फूल / हाफ रैक प्वाइंट
02	दुर्ग	तदैव
03	राजनांदगांव	तदैव
04	बिलासपुर	तदैव
05	रायगढ़	तदैव
06	विश्रामपुर	तदैव
07	जगदलपुर	तदैव
08	अकलतरा	तदैव
09	नेवरा	तदैव
10	मंदिर हसौद	तदैव
11	नैला	तदैव

परिशिष्ट - चार

// चावल हेतु रेल रैक प्वाइंटों (स्थानों) की सूची //

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	चावल रैक प्वाइंट (स्थान) का नाम
01	रायपुर	01	रायपुर
		02	नेवरा/तिल्दा
		03	भाटापारा
		04	मंदिरहसौद
02	दुर्ग	05	दुर्ग
		06	बालोद
03	धमतरी	07	बालोद (धमतरी गोदाम से परिवहन कर)
04	राजनांदगांव	08	राजनांदगांव
05	महासमुंद	09	महासमुंद
		10	बागबाहरा
		11	बागबाहरा (बसना से परिवहन कर)
		12	बागबाहरा (पिथौरा से परिवहन कर)
06	बिलासपुर	13	बिलासपुर
		14	बिल्हा
07	रायगढ़	15	रायगढ़
		16	खरसिया
08	जांजगीर	17	अकलतरा
		18	नैला

परिशिष्ट - पाँच

// सेवाओं / कार्यो के लिए अ-1, अ-2 का विवरण //

अनलोडिंग कार्य हेतु (रेक हैंडलिंग एवं स्थानीय परिवहन कार्य)

क्रं.	सेवा / विवरण (कार्य)	*v&1*	*v&2*
01	*oxu l ckj mrkj dj Vd e ykfMx] ifjogu rFkk LFkkuh; xknke e rky dj LVfdx dju rd dh ¼leLr dk;k dh½ nj*	¼65 किलो से कम वजन हेतु शक्कर *gr½*	(65 किलो से कम वजन हेतु) (चावल, गेहूं व नमक आदि हेतु)

लोडिंग कार्य हेतु (रेक हैंडलिंग एवं स्थानीय परिवहन कार्य)

क्रं.	सेवा / विवरण (कार्य)	*v&1*	*v&2*
01	*LFkkuh; xknkek e ckj LVd l mrkjdj rkyuk] Vd e ykM djuk] IyVQke rd ifjogu ,o oxu e ckj ykM dju rd dh ¼leLr dk;k dh½ nj*	¼65 किलो से कम वजन हेतु शक्कर *gr½*	(65 किलो से कम वजन हेतु) (चावल, गेहूं व नमक आदि हेतु)

टीपः- जिला प्रबंधक द्वारा रेलवे से प्राप्त शक्कर को स्टेशन से सीधे प्रदाय केन्द्रों तक परिवहन हेतु नियुक्त हम्माली एवं परिवहनकर्ता को आदेशित किया जा सकता है जिसके लिए परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा। सीधे परिवहन की दशा में एल.आर.टी. की स्वीकृत दर अनुसार नियमानुसार भुगतान किया जावेगा परंतु हम्माली एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा। आदेशित मात्रा का सीधे केन्द्रों तक परिवहन नहीं करने की दशा में आदेशित मात्रा का रू.5.00 प्रति बोरा की दर से एच. एण्ड टी. देयकों से कटौती की जाएगी।

परिशिष्ट - छः

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण एवं प्रस्तुत निविदा दरें //

प्रेषक,

.... (परिवहनकर्ता का नाम)
.... (एवं पूर्ण पता)
....

पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं ।

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़,
रायपुर

प्रिय महोदय,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा वांछित रेल्वे के विभिन्न रैक प्वाइंटों पर शक्कर/नमक/खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/मोटे अनाज/बारदाना आदि को उतारने/उठाने/लादने/रखने एवं उसको गोदामों तक परिवहन कार्य के लिये प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैने जिला कार्यालय / मुख्यालय रायपुर में निर्धारित राशि जमाकर निर्धारित निविदा फार्म क्रय किया है, हमने/मैने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मै उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।

2. हम/मै निम्न रैक प्वाइंट/संग्रहण केन्द्र/वितरण केन्द्र पर हम्माली एव परिवहन कार्य, निम्नानुसार दरों पर करना स्वीकार करते हैं / करता हूँ :-

रैक प्वाइंट का नाम .... जिले का नाम ....

सेवा	**सेवा कार्य विवरण**	
	65 किलोग्राम से कम वजन हेतु	**65 किलोग्राम से कम वजन हेतु**
वस्तु जो व्यवहृत होगी	शक्कर की दर प्रति बोरा रूपए में	चावल/ गेहूँ/नमक आदि की दर प्रति बोरा रूपए में
परिशिष्ट (पाँच) दर अनुसूची का संबंधित भाग	**अ-1**	**अ-2**
उतारने/ उठाने / लादने / रखने उनको गोदाम तक सुरक्षित परिवहन कार्य हेतु परिशिष्ट (5) में वर्णित सेवाओं के संबंधित अनुसूची भाग में उल्लेखित		
vadks e		
'kCnks e		

टीपः- चावल रेक लोडिंग हेतु निविदाकार लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु औसत हम्माली एवं परिवहन दर प्रस्तुत करें ।

परिशिष्ट - छः

3. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा ।

4. हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(1)	अ) निविदाकार का नाम व पता	....
		....
	ब) पिता का नाम	....
	स) नामांकित व्यक्ति का नाम व संबंध	....
(2)	दूरभाष क्रमांक कार्यालय / निवास / मोबाईल	....
(3)	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म/कंपनी/ स्वामित्व/हिंदू अविभाजित परिवार)	....
(4)	मुखिया (कर्ता) का नाम व पता	....
(5)	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....
		....
		....
(6)	फर्म की स्थापना,पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
(7)	इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम), पैनकार्ड एवं निवासी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें ।	....
(8)	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें)	....
		....
(9)	स्वयं/फर्म/कंपनी के नाम/कितने भारी माल वाहन (पंजीयन की सत्यप्रतिलिपियां संलग्न करें)	....
		....
	वाहन का पंजीयन क्रमाक	1) .... 2) ....
		3) .... 4) ....
(9)(अ)	स्वयं/फर्म/कंपनी के संपत्ति/परिसंपत्ति का विवरण	....
		....
		....
(10)	लंबी दूरी के परिवहन कार्य का वांछित अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
		....
(11)	वर्तमान में किस शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में परिवहन कार्य कर रहे हैं, विवरण दें ।	....
		....
(12)	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का	
	विवरण : रू0 कुल	....
	बैंक ड्राफ्ट नं0	....
	बैंक का नाम	....
		....
	दिनांक	....
(13)	इस वित्तीय वर्ष के लिए इस निगम की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण ।	....
		....
		....
(14)	पूर्व वर्षों में अगर इस निगम का कोई कार्य किया हो तो उसका विवरण ।	....
		....

परिशिष्ट - छः

(15)	मेरी/ हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि कार्पोरेशन परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है । (हाँ ,तो विवरण दें)	....
(16)	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से एक सौ बीस दिन तक तथा **परिशिष्ट-दो** की कंडिका 4.3 में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूँगा/रहूँगी।
4. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे परिवहन कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर	....
नाम	....
फर्म का नाम	....
पूरा पता	....
हैसियत	....
मुहर	

नोटः इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्टि अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट - सात

<u>प्रथम परिवहनकर्ता हेतु</u>

करार
नमूना प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज् कार्पोरेशन लिमिटेड़ मेरे/ हमारे द्वारा दिनांक .... को प्रबंध संचालक ,छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज् कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के रैक प्वाइंट...................... पर खाद्य पदार्थो एवं शक्कर/ नमक/ दलहन/ तिलहन/ बारदाना आदि को उतारने/उठाने/लादने/रखने एवं उसके संग्रहण केन्द्र / गोदाम तक परिवहन कार्य संविदा स्वीकृति करने के लिये सहमत हैं । अतः मैं/ हम (यहाँ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) ....जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म / स्वामितव फर्म है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री.. पुत्र श्री...निवासी ....एवं फर्म का पंजीयन पता .... (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, इसमसें अभिकर्ता,प्रबंधक, भागीदार,कार्यकर्ता,उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ रायपुर(जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक .... को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं / करते हैं कि मैने/हमने प्राप्तियों, स्थानीय निर्गमों तथा गोदाम के भीतर के कार्यो के संबंध में जिनका उल्लेख कार्य विवरण में किया गया है, उतराई /उठाई/ लदाई एवं रखाई तथा परिवहन संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं । मैं/हम,मेरे/हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक...................... दिनांक ....जो कि इस करारनामें का एक भाग है, मैं निविर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त् कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ ले रहे हैं । मैं/ हम उक्त् निगम को यह आश्वासन देता हूँ /। देते हैं कि मैं / हम उक्त् कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरे / हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/ करेंगें ।

यह करार दिनांक .... से .... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाए, लागू रहेगा ।

(संविदाकार) **वह हैसियत,जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है**	**कार्पोरेशन की ओर से** **अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**
<u>साक्षीः-</u>	**<u>साक्षीः-</u>**
(1) हस्ताक्षरः-	(1) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....
(2) हस्ताक्षरः-	(2) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....

परिशिष्ट - आठ

<u>द्वितीय परिवहनकर्ता हेतु</u>

अनुबंध करारनामा
नमूना - प्रति
(सौ रूपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज् कार्पोरेशन लिमिटेड़ मेरे/ हमारे द्वारा दिनांक .... को प्रबंध संचालक ,छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज् कार्पोरेशन लिमिटेड़, रायपुर को प्रस्तुत मुहरबंद निविदा के प्रत्युत्तर में कार्पोरेशन के रैक प्वाइंट..................... पर खाद्य पदार्थो एवं शक्कर/ नमक/ दलहन/ तिलहन/ बारदाना आदि को उतारने/उठाने/लादने/रखने एवं उसके संग्रहण केन्द्र / गोदाम तक परिवहन कार्य/ गोदाम की हम्माली की संविदा स्वीकृति करने के लिये सहमत हैं । इस हेतु द्वितीय परिवहनकर्ता के रूप में अमानत राशि रूपये 1,00,000/- जमा रखकर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध करता हूँ । रिस्क एण्ड कास्ट की स्थिति या अन्य कोई स्थिति उत्पन्न होने पर जिला प्रबंधक निर्देश / आदेशानुसार हम्माली एवं परिवहन कार्य समय पर किया जाएगा । अतः मैं/ हम (यहाँ संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) .... जो कि एक पंजीयत भागीदारी/फर्म/ स्वामितव फर्म है और जिसके भागीदार / स्वामी) श्री .... पुत्र श्री..निवासी ....एवं फर्म का पंजीयन पता .... (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें उनके अभिकर्ता,प्रबंधक, भागीदार,कार्यकर्ता,उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ रायपुर (जिसे इसमें इसको आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक .... को यह करार निष्पादित करता हूँ / करते हैं और इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैने/हमने प्राप्तियों, स्थानीय निर्गमों तथा गोदाम के भीतर के कार्यो के संबंध में जिनका उल्लेख कार्य विवरण में किया गया, उतराई /उठाई/ लदाई एवं रखाई तथा परिवहन संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... तथा संविदा की सामान्य शर्तो और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया गया है और उन्हें समझ लिया है, और उनसे आबद्ध रहने का करार करता हूँ/करते हैं । मैं/ हम,मेरे/ हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र क्रमांक..................... दिनांक ....जो कि इस करारनामें का एक भाग है, मैं निविर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार उक्त् कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ ले रहे हैं । मैं/ हम उक्त् निगम को यह आश्वासन देता हूँ / देते हैं कि मैं / हम उक्त् कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरे/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/ करेंगें ।

यह करार दिनांक .... से .... तक के लिए या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जाए, लागू रहेगा ।

(संविदाकार)	**कार्पोरेशन की ओर से**
वह हैसियत,जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है	**अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**
<u>**साक्षीः-**</u>	<u>**साक्षीः-**</u>
(1) हस्ताक्षरः-	(1) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
....	....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....
(2) हस्ताक्षरः-	(2) हस्ताक्षरः- ....
नामः-	नामः- ....
पताः-	पताः- ....
....	....
टेलिफोन नं.	टेलिफोन नं. ....

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय - रायपुर

// परिवहन निविदा हम्माली एवं परिवहन कार्य वर्ष 2010-2011 //
// रेक प्वाइंट अंतर्गत हम्माली एवं परिवहन कार्य के लिए अनुमानित व्यय का विवरण पत्रक //

(दर प्रति बोरा रूपये में)

क्रं.	विवरण	दर प्रति बोरा 65 कि.ग्रा. से कम वजन शक्कर हेतु	दर प्रति बोरा 65 कि.ग्रा. से कम वजन चावल/गेहूं / नमक हेतु
01.	रेक प्वाइंट अंतर्गत गोदाम तक आने जाने की दूरी		
02.	डीजल व्यय		
03.	वैगन से बोरे उतारकर रेलवे प्लेटफार्म पर रखने की दर		
04.	रेलवे प्लेटफार्म से उठाकर ट्रक / बैलगाड़ी में लदाई करने की दर		
05.	वैगन से सीधे ट्रक में / बैलगाड़ी में लदाई की दर		
06.	ट्रक / बैलगाड़ी से स्थानीय गोदामों तक पहुंचाने की दर		
07.	ट्रक / बैलगाड़ी से उतारकर कांटे पर तौल कराने की दर		
08.	कांटे से उठाकर गोदाम में छल्ली लगाने की दर		
09.	ट्रक / बैलगाड़ी से उतारकर सीधे गोदाम में छल्ली लगाने की दर (बिना तौल के)		
10.	कर,बीमा, मरम्मत एवं अन्य व्यय		
11.	चालक एवं परिचालक का वेतन एवं भत्ता		
12.	परिवहनकर्ता का मार्जिन		
13.	कुल व्यय प्रति बोरा		

(निविदा दस्तावेज की संबंधित कंडिका अनुसार)

// परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किये जाने वाले परिवहन कार्य का क्रियान्वयन पत्रक //क्रियान्वयन पत्रक ई0 आर0 पत्रक

परिवहनकर्ता का नाम . . . . परिवहन अनुबंध दिनांक . . . . वर्ष . . . .

परिवहन का प्रकार - हम्माली एवं परिवहन कार्य (एच. एंड टी.)

परिवहनकर्ता को प्राप्त आदेश एवं क्रियान्वयन का विवरण

क्रं.	जिला प्रबंधक द्वारा जारी आदेश क्रमांक	दिनांक	परिवहन कर्ता को आदेश कब कब प्राप्त हुए	आदेशानुसार अंतिम तिथि	आदेशित अंतिम तिथि तक परिवहन की मात्रा		आदेश अनुसार मात्रा की परिवहन की वास्तविक अंतिम तिथि अर्थात जब परिवहन वास्तव में पूर्ण हुआ	परिवहन में विलंब के दिवस (अंतिम डिलेव्हरी मात्रा को अंतिम दिवस माना जाएगा)	विलंबर अवधि का कारण यदि हो ।	जिला प्रबंधक द्वारा टेंडर की परिशिष्ट कर दो की संबंधित कंडिका के आधार पर प्रत्यारोपित पेनाल्टी
					मात्रा	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-5)	10	11

जिला कार्यालय

सहायक लेखाधिकारी जांच / टीप
जिला प्रबंधक आदेश / निर्णय

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता
नाम :- . . . .

सील

ifjf'k"V & uks

(10/—रूपए के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

घोषणा – पत्र

eS --- oYn ---meS ------------------- o"kZ] irk --,rn~ }kjk fuEukuqlkj ?kks"k.kk i= izLrqr djrk gwWA

1- ;g fd eS NRrhlx<+ LVsV flfoy lIykbZt dkiksZjs'ku fyfeVsM] ftyk dk;kZy; --- cSl fMiks ---------------------------------- eS ,y-vkj-Vh-@,p- ,.M Vh-@}kjk iznk; gqvk o"kZ -------------------------- esa ifjogudrkZ jgk gWaA

2- ;g fd esjh dk;kZof/k --------------------------------------- ls -- rd jghA

3- ;g fd esjs }kjk fuxe dks funsZ'k vuqlkj ifjogu dk;Z lqpk: :i ls lEikfnr fd;k x;k ,oa esjs ifjogu dk;Zdky dk dksbZ fookn yafcr ugha gSA

4- ;g fd fuxe }kjk esa>s lkfFk xbZ leLr lkekfxz;ksa dk ifjogu fu;ekuqlkj fd;k x;k gS ,oa ifjogu lac/kh leLr pkykuksa@ikofr;ksa dks fuxe dk;kZy; esa tek dj ifjoguns;d izLrqr dj fu;ekuqlkj Hkqxrku izkIr dj fy;k x;k gSA ;fn Hkfo"; esa eq>s ij fuxe dh vksj ls vU; dksbZ ysunkjh fudyrh gS rks mls eSa tek djus gsrq ck/; jgWaxkA

5- ;g ?kks"k.kk i= esjs }kjk mYysf[kr dk;Z vof/k dk vafre izek.k i= izkIr djus gsrq izLrqr djrk gwWA

gLrk{kj ---

ifjogudrkZ dk uke o irk ---

सील